न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 107/2016
अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

सोहनलाल आयु 80 वर्ष आत्मज श्री ताजुराम, कुम्हार, ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....वादी

बनाम

1. मनीराम आत्मज श्री ताजुराम, पीलीबंगा तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ.
2. ओमप्रकाश आत्मज श्री ताजुराम, कुम्हारांवाली तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर,
3. श्योदयाल आत्मज श्री ताजुराम, ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. श्रीमती कलावती धर्मपत्नी श्री दुलीचन्द, कुम्हार, ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
5. सुनील,
6. राजेन्द्रकुमार एवं
7. राजपाल आत्मजन श्री दुलीचन्द, कुम्हार, ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
8. गिरधारीलाल आत्मज श्री रामलाल, जाट, ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर,

.....प्रतिवादीगण

उपस्थिति– श्री जरनैलसिंह दुरणा	(वादी)
श्री कुलवन्तसिंह	(प्रतिवादी–1,2)
श्री राजविन्द्रसिंह	(प्रतिवादी–3से7)
श्री जगदीशराय गुप्ता	(प्रतिवादी–8)
पैरोकार राज	(प्रतिवादी–9)

दिनांक 26 फरवरी, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के अनुसार चक 11 एल.एल. तहसील जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 70/52 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर जिसमें 6.072 हैक्टर कृषि भूमि एवं 0.253 हैक्टर खाला एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1, 2 एवं 10 की कुल 0.708 हैक्टर कृषि भूमि (जिसे निर्णय के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. राजस्व अभिलेखों में संयुक्त खाता होने के कारण वादी को पानी की बारी बंधवाने, अन्य बैंकों से ऋण लेने में कठिनाई पैदा हो रही है इसलिये वादी प्रश्नगत कृषि भूमि में किलावाईज बंटवारा करवाने का अधिकारी है जिससे वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि का उचित उपयोग एवं उपभोग कर सके ताकि भविष्य में वारिसान में कोई विवाद उत्पन्न न हो. वादी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही विभाजन कर वादी एवं

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादीगण को किलावाईज बांट दी गयी थी जिसके आधार पर ही प्रत्येक पक्षकार अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं. जिसमें वादी का हिस्सा चक 11 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 6 से 10, श्री मनीराम का हिस्सा चक 11 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 11 से 15, श्री दुलीचन्द के वारिस के हिस्सा चक 11 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 16 से 20, प्रतिवादी संख्या 3 श्री श्योदयाल का चक 11 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 21 से 25, श्री सोहनलाल को चक 11 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 2 में 11.1/5 बीघा, श्री श्योदयाल चक 11 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1 में 11.1/5 बीघा, श्री दुलीचन्द के वारिसान को चक 11 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1 में 11.1/5 बीघा, श्री गिरधारीलाल को चक 11 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 10 में 11.1/5 बीघा, श्री मनीराम चक 11 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 2 में 11.1/5 बीघा दिया गया जिसके अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्सा पर काबिज चले आ रहे हैं. इस प्रकार वादी के हिस्सा में चक 11 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बार नम्बर 4 किला नम्बर 6 से 10 एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 2 में 11.1/5 बीघा प्राप्त हुई है जिस पर वादी द्वारा काफी व्यय कर, खाद डाल कर उपजाउपन बढाया गया है किन्तु प्रतिवादीगण लालचवश कब्जा के आधार पर विभाजन नहीं करवाना चाहते जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कानूनन अधिकार नहीं है इसलिये वादी प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जानुसार विभाजन करवाकर किलावाईज कृषि भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाना चाहता है. जिसके लिये वादी द्वारा प्रतिवादीगण को बार बार निवेदन किया गया किन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते हुऐ दिनांक 28 जून, 2016 को साफ इन्कार हो गये. यही वादहेतुक वादी को उपलब्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 11 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 6 से 10 एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 2 में 11.1/5 बीघा पर कब्जा के आधार पर विभाजित कर वादी के नाम पर दर्ज करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 8 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 9 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 10 अगस्त, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 चक 11 एल.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 21 से 25 एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1 में 1.1/2 बीघा एवं किला नम्बर 10 में 0.10 बीघा कृषि भूमि पर कब्जा है जिसके आधार पर विभाजन कर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर दर्ज की जानी अपेक्षित है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा चक 11 एल.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 21 से 25 एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1 में 1.1/2 बीघा एवं किला नम्बर 10 में 0.10 बीघा कृषि भूमि पर कब्जा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर दर्ज करने की डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 4 से 7 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 10 अगस्त, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 16 से 20 एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1 में 11.1/2 बीघा घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुई है जिसे कब्जा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के नाम पर दर्ज किया जाना अपेक्षित है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 से 7 द्वारा चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 16 से 20 एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1 में 11.1/2 बीघा कब्जा के आधार पर विभाजित कर उनके नाम पर दर्ज करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 15 फरवरी, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि का काफी समय से ही विभाजन किया हुआ है तथा प्रत्येक हिस्सेदार अपने कब्जा में आयी कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा है. प्रतिवादी संख्या 8 को चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 10 के 11.1/5 बीघा एवं किला नम्बर 1 की 11.1/5 बीघा प्राप्त हुई जिस पर वह काबिज चला आ रहा है. काउण्टर क्लेम में अंकित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 8 के कब्जा में चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 10 के 11.1/5 बीघा एवं किला नम्बर 1 की 11.1/5 बीघा प्रतिवादी संख्या 8 के नाम पर दर्ज करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 15 फरवरी, 2017 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर चक 11 एल.एल. के खाता संख्या 70/52 मुरब्बा नम्बर 4 व 7 की कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है. वादी द्वारा अपेक्षित अनुतोष में केवल मात्र मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 6 से 10, मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 2 की 11–1/5 कुल 5.11–1/5 बीघा कृषि भूमि अपने नाम पर दर्ज करने का कथन किया गया है न तो अनुतोष में कोई घोषणा का कथन किया गया है व न ही खाता संख्या 70/52 के विभाजन का कथन किया गया है एवं न ही धारा 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार के स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का कोई अनुतोष दर्ज किया गया है. इस प्रकार वादी का वाद जाहिरा तौर पर अधूरा एवं अस्पष्ट होने के कारण पोषणीय नहीं है. तथा विधि द्वारा वर्जित है क्योंकि पूर्ण अनुतोष दर्ज करने के अभाव में वाद का सही निर्णय नहीं हो सकता तथा केवल मात्र 5.11–1/5 बीघा कृषि भूमि के अनुतोष हेतु वादपत्र डिक्री नहीं किय जा सकता. चक 11 एल.एल. के खाता संख्या 70/52 के विभाजन के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि इस खाता की समस्त कृषि भूमि के विभाजन का अनुतोष दर्ज किया जाना आवश्यक था मगर वादी द्वारा ऐसे अनुतोष का कथन नहीं किया गया. इस प्रकार वाद अधूरे एवं गलत अनुतोष के आधार पर प्रस्तुत करने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है. वादी द्वारा वादपत्र के बिन्दु संख्या 4 में मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 व 2 की कृषि भूमि दर्ज करते हुऐ दोनों ही किला नम्बर 11–1/5–11–1/5 कुल 22–2/5 प्रत्येक में दर्ज किया गया है जबकि कानूनन एक बीघा में 20 विस्वा रकबा ही होता है. इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अस्पष्ट है तथा स्पष्ट रूप से वादहेतुक प्रकट नहीं होता है. इसलिये वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार विचाराधीन वाद इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 09 मार्च, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार आवेदक द्वारा प्रकरण को लम्बा एवं देरीना करने की नीयत से आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदक द्वारा स्वच्छ हाथों से आवेदनपत्र प्रस्तुत नही किया गया बल्कि प्रकरण को लम्बा एवं देरीना करने

सहायक कलक्टर एवं

की नीयत से ही प्रस्तुत किया गया है. वादी द्वारा सही तथ्यों के आधार पर ही विधि अनुसार वादपत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां जवाब वादपत्र प्रस्तुत होने पर विवाद्यक निर्धारणोपरपन्त ही पक्षकारान के साक्ष्य प्रस्तुत होने पर ही विनिश्चित किये जा सकते हैं इस प्रकार विचाराधीन आवेदनपत्र पोषणीय नहीं है इसी आधार पर आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्यहै. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 12 अप्रेल, 2017 द्वारा विचाराधीन आवेदनपत्र में प्रस्तुत की गयी आपत्तियों को जवाब वादपत्र के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वादपत्र प्रस्तुत नही किया गया है तथा चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं वांछित अनुतोष की त्रुटि बाबत समस्त तथ्य साक्ष्यों पर निर्भर करते हैं ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्यों से आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अव्यवों की पूर्ति नहीं होती है ऐसी स्थिति में, आवेदनपत्र निरस्त किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 9 मई, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि का विभाजन कालान्तर में किया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 1 से 5 एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 2 में 16.10 पावड़ा अर्थात 0.11 बीघा पूर्वी हिस्सा प्राप्त हुई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज चला आ रहा है. जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा काफी सुधार कार्य किया जाकर काबिज काश्त बनाया गया है. इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 विभाजन में यही कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 1 से 5 एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 2 में 16.10 पावड़ा अर्थात 0.11 बीघा पूर्वी हिस्सा उसके नाम पर दर्ज करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से काउण्टर क्लेम दिनांक 9 मई, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि का विभाजन करीब 20–25 वर्ष पूर्व ही किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 1 से 5 एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 2 में 16.10 पावड़ा अर्थात 0.11 बीघा पूर्वी हिस्सा प्राप्त हुई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज चला आ रहा है. जिस पर भारी मेहनत एवं राशि का व्यय कर सुधारा गया है जिस पर सह हिस्सेदारान की सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 काबिज चला आ रहा है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 1 से 5 एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 2 में 16.10 पावड़ा अर्थात 0.11 बीघा पूर्वी हिस्सा भूमि की उसके नाम पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 3 जुलाई, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा में चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 11 से 15 चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने हिस्सा में प्राप्त चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 7 लि नम्बर 2 के 11. 1/5 बीघा कृषि भूमि का काफी समय पूर्व ही श्री गिरधारी को विक्रय किया गया था जो वर्तमान में केता श्री गिरधारी के कब्जा में चला आ रहा है. राजस्व

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

अभिलेखानुसार मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 2(0.253) हैक्टर है जबकि वादी द्वारा किला नम्बर 2 में कुल 22.2/5 बीघा दर्शाया गया है जबकि एक बीघा में 0.20 बीघा भूमि होती है. मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 2 में 11.1/5 बीघा वादी द्वारा स्वयं तथा किला नम्बर 2 में 11.1/5 बीघा श्री मनीराम के कब्जा में दर्शाया गया है. वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अस्पष्ट होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या वादी चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 6 से 10 एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 2(0.11.05) बीघा कृषि भूमि विभाजन एवं कब्जा के आधार पर अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है?
   ......**वादी**

2. क्या प्रतिवादी संख्या 3 चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 21 से 25, मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1(0.01.10) बीघा, किला नम्बर 10(0.10) बीघा कृषि भूमि विभाजन एवं कब्जा के आधार पर अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है?
   .....**प्रतिवादी–3**

3. क्या प्रतिवादी संख्या 4 से 7 चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 16 से 20 एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1(0.01.10) बीघा कृषि भूमि विभाजन एवं कब्जा के आधार पर अपने नाम पर दर्ज करवाने के अधिकारी हैं? .....**प्रतिवादी–4 से 7**

4. क्या प्रतिवादी संख्या 8 चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 10(0.10.05) बीघा, किला नम्बर 1(0.01) बीघा कुल (0.11.05) बीघा कृषि भूमि विभाजन एवं कब्जा के आधार पर अपने नाम पर दर्ज करवाने के अधिकारी हैं? .....**प्रतिवादी–8**

5. क्या प्रतिवादी संख्या 1 चक 11 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 1 से 5, मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 2(0.11) (किला नम्बर 2 का पूर्वी हिस्सा स्थित) बीघा कृषि भूमि विभाजन एवं कब्जा के आधार पर अपने नाम पर दर्ज करवाने के अधिकारी हैं?
   ....**प्रतिवादी–1**

6. अनुतोष?

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 7 एवं 8 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 6 नवम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया. वादी की पहचान अधिवक्ता श्री जरनैलसिंह टुरणा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पहचान अधि. श्री कुलवन्तसिंह, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 एवं 7 की पहचान अधिवक्ता री राजविन्द्रसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 8 की पहचान अधिवक्ता श्री जगदीशराय गुप्ता द्वारा की गयी. अतिरिक्त, वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड # 4063

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

4232 2367, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड # 6125 3929 7866, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड # 5925 2457 5299, प्रतिवादी संख्या 3 # 3075 7131 0260, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र # KPQ/1054345, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर जारी आधार कार्ड # 2199 8999 3811, प्रतिवादी संख्या 7 के नाम पर जारी आधार कार्ड # 8796 7589 7791, प्रतिवादी संख्या 8 के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र # RJ/1/007/477557 की स्वः प्रमाणित चित्रित प्रतियां प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा उपस्थित आकर प्रार्थनापत्र मय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 के मध्य राजीनामा दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया. प्रतिवादी संख्या 6 की पहचान अधिवक्ता श्री राजविन्द्रसिंह द्वारा की गयी अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 6 के चुनाव पहचानपत्र # KPQ/1312248 की स्वः प्रमाणित चित्रित प्रति प्रस्तुत की गयी. अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 के मध्य राजीनामा प्रमाणित किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है.

वादी द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 22 जनवरी, 2018 अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राजीनामा में विशिष्ठ कृषि भूमि किस पक्षकार को दी जा रही है की बाबत स्थिति स्पष्ट की गयी.

राजीनामा दिनांक 6 नवम्बर, 2017 के अनुसार वादी चक 11 एल.एल. के खाता संख्या 70/52 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 6 से 10, मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1(0.2.3/5), किला नम्बर 2(0.8.4/5) हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 चक 11 एल.एल. के खाता संख्या 70/52 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 2(0.11. 1/5) बीघा, प्रतिवादी संख्या 2 चक 11 एल.एल. के खाता संख्या 70/52 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 11 से 15, प्रतिवादी संख्या 3 चक 11 एल.एल. के खाता संख्या 70/52 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 21 से 25 एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1(0.4.1/5) एवं किला नम्बर 10 में 0.07 बीघा, प्रतिवादी संख्या 4 से 7 चक 11 एल.एल. के खाता संख्या 70/52 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 16 से 20 एवं मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1(0.11.1/5) बीघा, प्रतिवादी संख्या 8 चक 11 एल.एल. के खाता संख्या 70/52 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 10(0.11.1/5) बीघा की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं.

।। आदेश ।।

राजीनामा दिनांक 6 नवम्बर, 2017 के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा **वादी को** – चक 11 एल.एल. के खाता संख्या 70/52 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 6 से 10, मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1(0.2. 3/5), किला नम्बर 2(0.8.4/5) हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 1 को** – चक 11 एल.एल. के खाता संख्या 70/52 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 2(0.11.1/5) बीघा, **प्रतिवादी संख्या 2 को** – चक 11 एल.एल. के खाता संख्या 70/52 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 11 से 15, **प्रतिवादी संख्या 3 को** – चक 11 एल. एल. के खाता संख्या 70/52 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 21 से 25 एवं मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1(0.4.1/5) एवं किला नम्बर 10 में 0.07 बीघा,

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट टेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 4 से 7 को – चक 11 एल.एल. के खाता संख्या 70/52 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 16 से 20 एवं मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1(0.11.1/5) बीघा, **प्रतिवादी संख्या 8 को** – चक 11 एल.एल. के खाता संख्या 70/52 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 10(0.11.1/5) बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

निर्णय अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 26 फरवरी, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर